भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1623

13 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

नि:शुल्क राशन

1623. डॉ. रामशंकर कठेरिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आगामी पांच वर्षों में लोगों को नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के 80 करोड़ लोगों को नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कितना अतिरिक्त व्यय वहन किया जाएगा?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

उत्तर: (क) से (ग): गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को समाप्त करने और इस कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था।

पीएमजीकेएवाई के लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और गरीबों की खाद्यान्नों तक पहुंच, वहनीयता व उपलब्धता को सुदृढ़ करने हेतु तथा राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 81.35 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों (अर्थात अंत्योदय अन्न योजना वाले (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता श्रेणी वाले (पीएचएच) परिवारों) को दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 11.80 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के साथ निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया है।

.......2/-

राष्ट्रीय खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत दिनांक 1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए नि:शुल्क खाद्यान्नों का प्रावधान सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण को दर्शाता है। नि:शुल्क खाद्यान्नों के प्रावधान से समाज के प्रभावित वर्ग की आर्थिक कठिनाई कम होगी और लाभार्थियों के लिए शून्य लागत के साथ दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण रणनीति सुनिश्चित होगी जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी समावेशन सुनिश्चित होगा।

****